न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, पाली संभाग, पाली
पीठासीन अधिकारी :– श्री हरफूल सिंह यादव,आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–115/2024
जी.सी.एम.एस नंबर :– 2024/115

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. कालुसिह पुत्र बलवंतसिह, जाति– राजपूत, निवासी थूर, तहसील जसवंतपुरा, जिला जालोर		राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जसवंतपुरा जिला जालोर

<u>अपील अन्तर्गत धारा 76 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, जसवंतपुरा प्र.स. 1/2018 निर्णय दिनांक 25.06.2019 व न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 21/2019 निर्णय दि. 16.09.2019</u>

उपस्थिति :–
1. श्री नारायण कुमावत, विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट।

:: **निर्णय** ::

दिनांकः– 30/8/24

1. पत्रावली में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपील अन्तर्गत धारा 76 भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार, जसवंतपुरा प्र.स. 1/2018 निर्णय दिनांक 25.06.2019 व न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के प्रकरण संख्या 21/2019 निर्णय दि. 16.09.2019 से व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई।
2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया। रेस्पोडेण्ट बावजुद सम्मन तामिल के न्यायालय में उपस्थित नही हुए।
3. बहस अपील अपीलाण्ट की सुनी गई।
4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के दौरान अपील मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि विद्वान न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के अधिवक्ता ने अभिकथन कर निवेदन किया कि अधीनस्थ तहसीलदार जी ने अपीलान्ट को पश्चातवृत्ति अतिक्रमी मानते हुये अपीलान्ट के विरूद्ध प्रकरण दर्ज किया। लेकिन अधीनस्थ के न्यायालय में पत्रावली, पटवारी रिपोर्ट व अन्य दस्तावेजों में अपीलान्ट पूर्ववर्ती अतिक्रमी था और उसके संबंध में कोई प्रकरण दर्ज किया हो और अपीलान्ट के विरूद्ध ऐसा कोई दस्तावेज पत्रावली पर नहीं था। जब अपीलान्ट उक्त भूमि पर पूर्ववर्ती अतिक्रमी था ही नहीं तो अपीलान्ट को पश्चात[illegible]र्मी मानकर विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपीलाधीन निर्णय पारित [illegible] है।

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान जि[illegible] निर्णय दिनांक [illegible]2019 यह स्पष्ट न्यायालय की राय थी कि प्रकरण में [illegible]स्थ पत्रावली के अवलो[illegible] यह पाया गया कि पश्चात् अतिक्रमण के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के संलग्न ऐसा कोई ठोस दस्तावेज नहीं है। जिसे अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिक्रमी माना जा सके। तत्पश्चात् उपरोक्त आदेश के पश्चात् अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार जी के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

30/8/24
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत ही नहीं किया। जिससे अपीलान्ट का पश्चातवृति अतिक्रमी होना साबित हो। उसके बावजूद भी विधि विरूद्ध तरीके से अपने निर्णय के विरूद्ध जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो निरस्त करने योग्य है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष हल्का पटवारी के बयान एक पक्षीय तरीके से कलमबंद्ध करवाये गये। जिसमें भी हल्का पटवारी स्वंय अपीलान्ट के उक्त भूमि पर पूर्ववृत उक्त भूमि पर कभी अतिक्रमी रहा हो एवं उसके संबंध में कोई प्रकरण दर्ज हुआ हो और अपीलान्ट के विरुद्ध बेदखली आदेश पारित हुआ हो। ऐसा कोई कथन नहीं किया, न ही ऐसे कोई दस्तावेज प्रस्तुत करवाये। इस कारण से भी अपीलान्ट को उक्त भूमि पर अपीलान्ट को पश्चातवृति अतिक्रमी मानते हुये विधि विरुद्ध तरीके से अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट ने अधीनस्थ तहसीलदार जी के समक्ष तीन प्रार्थना पत्र मय जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त प्रकरण हल्का पटवारी थूर ने बिना पेमाईश एवं परीक्षण किये खसरा नम्बर 669 का रकबा 0.2000 हेक्टेयर पर अतिक्रमी माना जबकि खसरा नम्बर 669 के उत्तर दिशा में खसरा नम्बर 670 व 671 अपीलान्ट की कृषि भूमि है तथा खसरा 696 के दक्षिण दिशा में खसरा नम्बर 666, 667 अमरसिंह के खातेदारी कृषि भूमि आयी हुई है। हल्का पटवारी प्रकरण बनाते समय यह स्पष्ट पैमाईस से ज्ञात नहीं किया कि खसरा नम्बर 669 माप 0. 20 हैक्टेयर गैर मुमकीन रास्ते पर किन खातेदार द्वारा अतिक्रमण किया है। बिना पैमाईश व ठोस साक्ष्य के अभाव में अंदाज लगाकर किसी खातेदार को अतिकर्मी मानना विधि विरूद्ध है। उसके बावजूद भी न ही तो हल्का पटवारी द्वारा न ही पैमाईस करवायी गई न ही सेटलमेंट विभाग की टीम द्वारा, न ही जीपीएस से पैमाईस करवायी गई। जो विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो निरस्त करने योग्य है।

अधीनस्थ भू अभिलेख निरीक्षक चान्दूर द्वारा बिना आदेशिका के ही एक तथ्यात्मक जांच रिपोर्ट पेश की जाती है। जिसके द्वारा भी खसर नम्बर 669 रकबा 0.20 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकीन रास्ते की भूमि पर सीमांकन व पैमाईस नहीं कर मात्र अपीलान्ट को अतिक्रमी बताया। जो जांच रिपोर्ट भी अपीलान्ट के अनुपस्थिति में एक पक्षीय तरीके से तैयार की गयी तथा भू अभिलेख निरीक्षक चान्दूर द्वारा मौके पर चलकर अपीलान्ट के आवेदनों अनुसार कोई नाप चोक या सीमांकन नहीं किया कि खसरा नम्बर 669 पर खसर नम्बर 667, 666 के खातेदार अमरसिंह का अतिक्रमण है या अपीलान्ट का और बिना सीमांकन के ही विधि विरूद्ध तरीके से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश की। जिसके आधार पर विधि विरूद्ध तरीके से जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किया। जो निरस्त करने योग्य है।

अपीलान्ट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष यह आवेदन प्रस्तुत किया था कि खसरा नम्बर 669 रकबा 0.20 हैक्टेयर की भूमि की पैमाईस करने के पश्चात् यदि अपीलान्ट का अतिक्रमण होना स्पष्ट होता है तो अपीलान्ट भूमि को अपना कब्जा हटाने हेतु तैयार व तत्पर है। लेकिन अपीलान्ट को अपनी पैतृक भूमि खसरा नम्बर 671 व 670 पर कब्जाकाश्त है तथा खसरा नम्बर 666 व 667 के खातेदार का खसरा नम्बर 669 की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है और बिना सीमांकन व पैमाईस विधि विरूद्ध तरीके से अपीलान्ट को अतिक्रमी मानते हुये जैर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की। जो निरस्त करने योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 16:47:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

अधीनस्थ तहसीलदार जी के समक्ष प्रार्थी द्वारा सेटलमेंट विभाग से व जीपीएस से तथा हल्का पटवारी से गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 669 की भूमि के सीमांकन व नाप चोक बाबत् आवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार जी ने विधिवत् से कोई निर्णय पारित नहीं किया, न ही ऐसे प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को सुना गया। प्रकरण में ऐसे प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहते हुये अपीलान्ट को बिना सुने ही एक पक्षीय तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्ध जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किये। जो निरस्त करने योग्य है।

अपील अपीलाण्ट स्वीकार फरमाई जावे तथा अपीलाधीन निर्णय दिनांक 25.06.2019 प्रकरण संख्या 1/2018, बअनवान सरकार बनाम कालुसिंह वगैरह में न्यायालय तहसीलदार महोदय, जसवंतपुरा व निर्णय दिनांक 16.09.2019 अपील संख्या 21/2019 बअनवान कालुसिंह बनाम सरकार में श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, जालोर द्वारा पारित किया को निरस्त फरमाया जावें।

5. हमने उपस्थित के विद्वान अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर जालोर के प्रकरण संख्या 21/2019 में अपीलाण्ट को विधि के अनुसार नही सुना गया है तथा न ही साक्ष्य सबूत पेश करने का उचित अवसर प्रदान किया गया है। न्यायालय तहसीलदार, जसवन्तपुरा ने प्रार्थी द्वारा सेटलमेंट विभाग से व जीपीएस से तथा हल्का पटवारी से गैर मुमकीन रास्ता खसरा नम्बर 669 की भूमि के सीमांकन व नाप चोक बाबत् आवेदन किया था। जिस पर अधीनस्थ तहसीलदार जी ने विधिवत् से कोई निर्णय पारित नहीं किया, न ही ऐसे प्रार्थना पत्र पर अपीलान्ट को सुना गया। प्रकरण में ऐसे प्रार्थना पत्रों के लम्बित रहते हुये अपीलान्ट को बिना सुने ही एक पक्षीय तरीके से प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के विरूद्ध जैर अपीलाधीन निर्णय पारित किये।विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में भी निवेदन किया है कि वादग्रस्त आराजी पर अगर प्रार्थना पत्रो अनुसार अतिक्रमण होगा तो अपीलाण्ट उपरोक्त भूमि को अपना कब्जा हटाने हेतु तैयार व तत्पर है। किसी प्रकार का अतिक्रमण नही किया है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधि के प्रावधानो के अनुसार नही है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय जिला कलेक्टर, जालोर के अपील संख्या 21/2019 निर्णय दिनांक 16.09.2019 कालूसिह बनाम सरकार एवं न्यायालय तहसीलदार, जसवन्तपुरा के प्रकरण संख्या 1/2018 बअनवान सरकार बनाम कालुसिह को अपास्त किया जाता है। न्यायालय तहसीलदार, जसवन्तपुरा को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलाण्ट्स को सुनवाई तथा साक्ष्य प्रस्तुत का पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बाद विधि सम्मत निर्णय पुनः पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harphool Singh Yadav
Date: 2024.09.30 12:47:21 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)

यह निर्णय आज दिनांक ......30/8/24...... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

30/8/24

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
पाली (राज.)